भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2193

जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026/9 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

ओडिशा में उर्वरक क्षमता का विस्तार

2193. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दीर्घकालिक उर्वरक सुरक्षा को सुदृढ़ करने और संभार-तंत्र संबंधी लागत को कम करने के लिए पूर्वी भारत में घरेलू यूरिया और फास्फोरस युक्त तथा पोटाश युक्त (पी एंड के) उर्वरक विनिर्माण क्षमता के विस्तार हेतु कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य की पत्तन अवसंरचना, खनिज संसाधनों और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखते हुए ओडिशा को उर्वरक विनिर्माण इकाइयों या संबद्ध डाउनस्ट्रीम सुविधाओं की स्थापना/विस्तार के लिए चिह्नित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त राज्य में, विशेषकर खरीफ मौसम के लिए, उर्वरक भंडारण, वितरण अवसंरचना और अग्रिम बफर स्टॉक को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) उक्त राज्य में उर्वरक मूल्य शृंखला को सुदृढ़ करने और उक्त क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रस्तावित निवेश का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क), (ख) और (घ): यूरिया के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहित करने तथा भारत को यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी), 2012 घोषित की तथा 7 अक्टूबर, 2014 को उसका संशोधन अधिसूचित किया। एनआईपी-2012 के अंतर्गत कुल 6 नई यूरिया इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 इकाइयाँ तथा निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 इकाइयाँ शामिल हैं। संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से स्थापित इकाइयों में तेलंगाना स्थित रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुंडम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की तीन यूरिया इकाइयां उत्तर प्रदेश की गोरखपुर, झारखंड की सिंदरी तथा

बिहार की बरौनी शामिल हैं। निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयों में पश्चिम बंगाल स्थित मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई तथा राजस्थान स्थित चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-III यूरिया इकाई शामिल हैं। इन सभी इकाइयों की स्थापित उत्पादन क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित होने के कारण ये सभी इकाइयाँ अत्यधिक ऊर्जा दक्ष हैं। परिणामस्वरूप, इन इकाइयों के माध्यम से कुल 76.2 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त यूरिया उत्पादन क्षमता सृजित हुई है, जिससे देश की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्मूल्यांकित क्षमता–आरएसी) वर्ष 2014-15 की 207.54 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़कर वर्ष 2026-27 में 269.42 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो गई है। इसके अतिरिक्त, नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनी तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से ओडिशा में एफसीआईएल की तालचेर इकाई के पुनरुद्धार के लिए कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी पर आधारित 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता के एक नए ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र की स्थापना संबंधी विशेष नीति को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, असम स्थित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के वर्तमान परिसर में संयुक्त उद्यम के माध्यम से 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाले नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया परिसर, जिसे असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड (एवीएफसीसीएल) के नाम से जाना जाएगा, की स्थापना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इन दोनों परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

इसके अलावा, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को आरएसी से बढ़ाकर अधिकतम करने के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य के साथ मौजूदा 25 गैस आधारित यूरिया इकाइयों के लिए नई यूरिया नीति (एनयूपी) - 2015 को 25 मई, 2015 को अधिसूचित किया। एनयूपी-2015 के कारण 2014-15 की तुलना में प्रतिवर्ष 20-25 एलएमटी अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन हुआ है।

उपरोक्त प्रयासों ने यूरिया उत्पादन को 2014-15 के दौरान रहे 225 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष के स्तर से बढ़ाकर 2023-24 के दौरान 314.07 लाख मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाने में मदद की है। 2025-26 के दौरान देश में 293.30 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन हुआ।

इसके अतिरिक्त, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 15.07.2026 को आत्मनिर्भर भारत हेतु राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (एनआईपीयू-2026) को अनुमोदित किया।

इसके अलावा, पीएंडके उर्वरकों के संबंध में, सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम लागू की है। एनबीएस स्कीम के तहत, पीएंडके उर्वरक मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल किए जाते हैं और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों/कच्चे माल का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं। एनबीएस स्कीम ओडिशा राज्य सहित अखिल भारतीय आधार पर समान रूप से लागू की जाती है और इसमें कोई क्षेत्रीय विभेद नहीं किया जाता है।

आयातित फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमआरपी की तर्कसंगतता पर दिनांक 18.01.2024 को जारी दिशानिर्देश के माध्यम से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए गए हैं, जिसमें आयातकों/उत्पादकों और एकीकृत उत्पादकों को

क्रमशः 8%, 10% और 12% का उचित लाभ दिया जाता है। अनुरोधों के आधार पर, एनबीएस सब्सिडी स्कीम के तहत नई उत्पादन इकाइयों अथवा मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने को अहमियत दी गई है/संज्ञान में लिया गया है। एनबीएस स्कीम के तहत शामिल किए गए पीएण्डके उर्वरकों की संख्या वर्ष 2021 की 22 ग्रेड से बढ़ाकर 28 ग्रेड कर दी गई है। मृदा में फॉस्फेटयुक्त अथवा 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने हेतु एसएसपी, जो एक स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस पर मालभाड़ा सब्सिडी, खरीफ, 2022 से लागू की गई है। इसके अलावा, एनबीएस स्कीम के तहत उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पोषक तत्वों की दरें द्विवार्षिक आधार पर तय की जाती हैं।

(ग): प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आकलित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों का यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा में आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है। चल रहे खरीफ मौसम 2026 के दौरान राज्यों में उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त रही है।

इसके अलावा, चल रहे खरीफ मौसम 2026 के दौरान ओडिशा राज्य में उर्वरकों अर्थात यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और बफर स्टॉक (शेष स्टॉक) के संबंध में विवरण निम्नानुसार हैं:

ओडिशा					
चल रहे खरीफ मौसम 2026 (01.04.26 से 26.07.26 तक) के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता					
					आंकड़े एलएमटी में
क्रम. सं.	**उत्पाद**	**आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**डीबीटी बिक्री**	**26.07.26 को शेष स्टॉक**
1	यूरिया	2.97	4.29	1.93	2.36
2	डीएपी	1.33	1.60	0.91	0.70
3	एमओपी	0.59	0.79	0.24	0.55
4	एनपीकेएस	1.82	2.28	0.94	1.34
